न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

निगरानी न.पा. –73 (2)/ 992/2020/अजमेर (2020/00992)

1– श्री पवन सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी, निवासी महाराणा प्रताप स्कूल के पास, कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर , तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

2– श्री गौतम मेवाडा पुत्र गोकुलराम मेवाडा, निवासी कोठी चौक, पाली बाजार, ब्यावर , तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री प्रेमप्रकाश भार्गव, पुत्र महेश प्रसाद भार्गव, निवासी एफ–14, मधुवन, टौंक फाटक, जयपुर।

2– श्री कैलाशनाथ भार्गव पुत्र महेशप्रसाद भार्गव, निवासी जवाहर नगर, रामलीला मैदान के सामने, जयपुर।

3– श्री शम्भूनाथ भार्गव पुत्र महेशप्रसाद भार्गव, निवासी माया मंदिर भण्डार के पीछे, मकान न. 187, अशोक नगर, उदयपुर।

4– श्री प्रमोद कुमार भार्गव पुत्र महेशप्रसाद भार्गव निवासी, एफ–32, तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने, जयपुर।

5– श्रीमती सुधा पत्नी नरेश चन्द भार्गव निवासी एफ–32, तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने, जयपुर।

6– श्री सौरभ पुत्र नरेश चन्द्र भार्गव निवासी, एफ–32, तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने, जयपुर।

7– सारिका पुत्री नरेश चन्द्र भार्गव निवासी, एफ–32, तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के सामने, जयपुर।

8– उषा बेवा श्री अनिल कुमार भार्गव ।

9– भव्या पुत्री श्री अनिल कुमार भार्गव।

दोनों निवासी प्यारेलाल की बगीची, सेन्दडा रोड, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

10– श्रीमती वन्दना शर्मा पत्नी श्री वि[illegible] प्रक[illegible] शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी चम्पा नगर, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

11– श्रीमती रेखा चौपडा पत्नी राजेन्द्र चौपडा।

12— श्रीमती निशा चौपडा पत्नी गौतम चौपडा।
दोनों जाति जैन, निवासी मूण्डोत, नेहरू गेट के बाहर , ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

13— श्रीमती निर्मला जैन पत्नी संजय जैन, जाति जैन, निवासी लोकाशाह नगर, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

14— श्रीमती प्रीती जैन पत्नी राहुल जैन, जाति जैन, निवासी सैदंडा रोड, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

15— प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर।

16— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।

17— उपपंजीयक ब्यावर, जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 73 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत विरूद्व प्रकरण संख्या 3 में जारी भू आवंटन पत्र(पट्टा) कमांक 2 दिनांक 17.09. 2012 जो नगर परिषद ब्यावर द्वारा अप्रार्थीगण के हक में दिया गया

उपस्थित :— 1— श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री अभिषेक भार्गव, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 10 से 14
3— श्री सुमित जैन अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 13
4— श्री एस. के. सेठी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 15
5— श्री आकाश पारीक अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 16व 17

निर्णय

दिनांक : 17.02.2021

यह निगरानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अधिनियम 2009 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत नगर परिषद ब्यावर जिला अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 3 में जारी भू—आवंटन पत्र (पट्टा) कमांक 2 दिनांक 17.09.2012 जो अप्रार्थीगण के हक में दिया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर, अन्तर्गत राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम, ब्यावर के समक्ष तत्कालीन प्रार्थी गण महेश प्रसाद व रघुवीर प्रसाद पिसरान सीताराम भार्गव द्वारा दो प्रार्थना पत्र फार्म नम्बर 2 व 3 नियम 6 व 7

राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम के तहत आराजीयात ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खाता संख्या 110 के खसरा नम्बर 726, 743, 746, 757, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 789, 968, 791, 790, 792, 793, 725, 744, 787, 745, 788, 742, पर प्रार्थीगण का कब्जा व खुदकाश्त में होना बताते हुये अधिनियम की धारा 5(4) व धारा 6 के अधीन खुदकाश्त व निजी सम्पत्ती घोषित करने हेतु प्रस्तुत किये गये। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर अन्तर्गत राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या जेड.बी.ए. मुकदमा नम्बर 769/60 व 770/60 महेश प्रसाद–रघुवीरप्रसाद बनाम सरकार दर्ज कर राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम के नियम 8 व 3 व नियम 2 व 3 के अन्तर्गत इस्तहार आम ग्राम मुतलका में प्रकाशित करवाये गये और तहसीलदार ब्यावर को बहैसियत प्रतिनिधि राजस्व नोटिस भिजवाये गये। इस नोटिस के जवाब में तहसीलदार ब्यावर ने रिपोर्ट पेश की और खसरा संख्या 781, 788, 791, 792, 793, 969 को प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति बतलाई। तहसीलदार की रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड के आधार पर न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 791, 790, 792, 793, 788, 781, कुल किता 6 को राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम की धारा 6 के तहत निजी सम्पत्ति होना घोषित किया गया एवं खसरा संख्या 726, 743, 746, 757, 779, 780 783, 784, 785, 786, 789, 968, 782, कुल किता 13 को धारा 5 (4) राजस्थान जमीदारी एवं विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण की खुदकाश्त घोषित किया गया तथा निर्णय के अन्त में खसरा संख्या 742 किस्म गै.मु. खसरा 725 किस्म दाति, खसरा संख्या 744 रास्ता, खसरा संख्या 787 किस्म पाल, खसरा संख्या 788 किस्म दाति, खसरा संख्या 969 किस्म पहाड होने से उन खसरा नम्बरों को निजी सम्पत्ति करार नहीं दिया गया अर्थात ये खसरा नम्बर राजकीय/सरकारी रहे। यह आदेश पारित होने के बावजूद भी खसरा संख्या 742, 725, 744,757, 781, 969, को अप्रार्थीगण के पूर्वज महेश प्रसाद एवं रघुवीर प्रसाद के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर गलत व गैरकानूनी तरीके से एवं त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व जमाबंदी में इन भूमियों को अपनी खुदकाश्त खातेदारी भूमियां अंकित करवा ली गई और उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारीसान अप्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद जरिये विरासत यह आराजीयात गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि इन अराजी [illegible] सहित अन्य आराजीयत जो कि महेश प्रसाद व रघुवीर प्रसाद की निजी [illegible] भूमियां घोषित की गई थी व चैरीटेबल ट्रस्ट मुंशी चिमनलाल प्यारेलाल [illegible] ट्रस्ट की खातेदारी भूमियां थी एवं जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वज महेश प्रसाद व रघुवरी प्रसाद केवल मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

केयरटेकर थे और इन ट्रस्ट की भूमियों का रेज्यूड्यूअल ट्रस्टी तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) को मुकर्रर किया गया था। इस सब के बावजूद भी अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमियां अवैधानिक रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली।

उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा नगर परिषद ब्यावर से एक पट्टा विलेख दिनांक 17.09.2012 को निष्पादित करवाकर खसरा संख्या 886, 906 से 910, 912 से 914, 923, 924, 904/1 में भूखण्ड संख्या 1 से 55 क्षेत्रफल 12263.94 वर्गगज आवासीय प्रयोजानार्थ एवं एक भूखण्ड क्षेत्रफल 1389. 98 वर्गगज वाणिज्यिक प्रयोजानार्थ आवंटन करवा लिया गया जिसमें साबिक खसरा संख्या 969 गैर मुमकिन पहाड जो अप्रार्थीगण के पूर्वजों की निजी सम्पत्ति घोषित नहीं की गई थी, के नवीन खसरा संख्या 923 व 904 भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से पट्टा अभिलेख नगर परिषद ब्यावर से अपने नाम जारी करवा लिये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 05 पर निगरानीकर्त्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भू आवंटन पत्र(पट्टा) क्रमांक 2 दिनांक 17.09.2012 नगर परिषद ब्यावर द्वारा बिना मौके की वास्तविक जांच किये हुये ही अप्रार्थीगण के हक में जारी कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पट्टे की आड में जब वादग्रस्त आराजी को खुदबुर्द किये जाने का प्रयास किया गया तब प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा आक्षेपित पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर एवं अन्य दस्तावेज एकत्रित कर अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर निगरानी बाबत उनकी विधिक राय प्राप्त कर पट्टा विलेख के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने के लिये यद्यपि कोई मियाद निर्धारित नहीं है फिर भी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में जान बूझकर कोई देरी नहीं की गई है यह देरी सद्भाविक तौर पर हुई है जिसे क्षमा किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्धारित किये जाने योग्य बनता हो, तो मियाद को क्षमा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

जाना चाहिये प्रार्थी गण का प्रकरण भी गुणावगुण का बनता है अतः ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित होगा। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण के प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर नरम व उदार रूख अपनाते हुये तथा निगरानी को मियाद के तकनीकी बिन्दु पर खारिज नहीं कर इसका निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे प्रस्तुत निगरानी में प्रकरण राजकीय भूमि से संबंधित होकर व्यापक जनहित से जुडा हुआ होने के कारण तथा राजकीय भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर आक्षेपित पट्टा विलेख दिया जाना प्रारम्भ से ही पूर्णतया अवैधानिक है अतः ऐसी स्थिति मे भी देरी को क्षमा किया जाना न्यायसंगत है। अन्त में उनके द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर निगरानी प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को न्यायहित मे क्षमा कर निगरानी को अन्दर मियाद शुमार करते हुये गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण / गैरनिगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण/ निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 05 के जवाब मे निवेदन किया गया कि अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता का प्रार्थना पत्र सहकारण नही होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। मियाद मे छुट चाहने हेतु प्रत्येक दिवस का यथोचित व सकारण दर्शाते हुए निवेदन करने पर ही मियाद मे छुट दी जा सकती है जो कि प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा नही दर्शाया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण मे प्रार्थी/अपीलार्थी को मियाद मे छुट दिया जाना कतई न्यायोचित नही होने से प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 05 खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर इसी स्तर पर ही खारिज किया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्को तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाबी बहस पर मनन व गौर किया एवं इसी संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत [illegible] स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि नगर परिषद ब्यावर द्वारा अप्रार्थीगण के हक में भूखण्ड संख्या 1 से 55 आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 12263.94 वर्ग गज व एक भूखण्ड

वाणिज्यिक प्रयोजानार्थ क्षेत्रफल 1389.98 वर्ग गज श्री वृन्दावन विहार योजना में ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा संख्या 886, 906 से 910, 912 से 914, 923, 924, 904/1 बाबत जो पट्टा विलेख जारी किया गया है वह न्याय, नियम एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा साबिक खसरा संख्या 969 किस्म गैरमुमकिन पहाड अप्रार्थीगण के पूर्वजों की निजी व खुदकाश्त की सम्पत्ति घोषित नही किये जाने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में गैर कानूनी तरीके से अमल दरामद करवाकर एवं इस त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 969 के नवीन खसरा संख्या 923, 904 पर नगर परिषद ब्यावर से जो पट्टा प्राप्त किया गया है वह पूर्णतया अवैधानिक होने से काबिले निरस्त है।

दौराने बहस प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 969 की किस्म गैरमुमकिन पहाड है और जिसके नवीन खसरा नं. 923 रकबा 14 बिस्वा व खसरा न. 904/1 रकबा 7 बिस्वा कायम हुये हैं जिन्हें अप्रार्थीगण की खातेदारी में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी खसरा संख्या 904/1 रकबा 7 बिस्वा किस्म सडक व खसरा न. 923 रकबा 14 बिस्वा किस्म पाल अंकित है, जिन पर आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजानार्थ पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी नगर परिषद ब्यावर द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये अवैधानिक रूप से पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। नगर परिषद ब्यावर द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व भौतिक स्थिति की वास्तविक जांच नहीं की गई है। इस प्रकार पूर्ण जांच किये बिना अवैधानिक रूप से जारी किया गया आक्षेपित पट्टा अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

दौराने बहस प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि नगर परिषद ब्यावर द्वारा आक्षेपित पट्टा अधिनियमों के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना मस्तिष्क का उपयोग किये ही सरसरी तौर पर जारी कर दिया गया है इस कारण यह काबिले निरस्त है

दौराने बहस प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता अधिवक्ता का यह कथन है कि आराजी साबिक खसरा संख्या 969, किस्म गैरमुमकिन पहाड (नवीन खसरा न. 923व 904/1) अप्रार्थीगण के पूर्वजों की निजी व खुदकाश्त की सम्पत्ति घोषित नहीं किये जाने से यह आराजी राजकीय भूमि जिसे अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा व तत्पश्चाात अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी का अंकन करवाया गया है। यह आराजीयात राजकीय भूमि होने से व्यापक जनहित जुडा हुआ है तथा राजकीय भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

नाम त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया अवैधानिक है जो न्यायसंगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 3 में जारी भूमि आवंटन पत्र(पट्टा) क्रमांक 2 दिनांक 17.09.2012 व इससे अप्रार्थीगण के हक में भूखण्ड संख्या 1से 55 आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 12263.94 वर्गगज व भूखण्ड 1 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 1389.91 वर्गगज श्री वृन्दावन विहार योजना में ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा संख्या 886, 906 से 910, 912 से 914, 923, 924, 904/1 जारी किया गया भू आवंटन पत्र (पट्टा) निरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत/दस्तावेज प्रस्तुत कर इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथा :–

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर अन्तर्गत राजस्थान जमीदार एवं बिस्वेदारी एक्ट, ब्यावर (ZBA) मुकदमा नं. 769 व 770/60 बउनवान महेशप्रसाद, रघुवीरप्रसाद पिसरान सीताराम भार्गव साकिन ब्यावर बनाम सरकार राजस्थान निर्णय दिनांक 31.05.1965 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति
2. खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां

प्रार्थीगण/ निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस के जवाब में अप्रार्थीगण स. 1 से 07, 10 से 14 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में अंकित तथ्यों को ही कमोबेश अपनी बहस में दौहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पूर्णतया विधि विरूद्ध आधारो पर व बिना किसी विधिक आधार के (Locus Standi) के प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नहीं है। चूंकि सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपनी विधिक हैसियत सम्पूर्ण निगरानी याचिका में बताने में कासिर रहे हैं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किये जाने के कारण पूर्णतया अधिकारविहीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/गैर निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी कथन है कि प्रार्थीगण ने जिन दस्तावेजों [illegible] न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वे तमाम दस्तावेजात पंजीकृत दस्तावेज है और जिनके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीगण सिविल न्यायालय में ही चाराजोही

/विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हे चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है अतः न्यायालय हाजा के समक्ष पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में कोई भी निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है एवं विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल सिविल न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता रखते है। प्रार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में नगर पारिषद ब्यावर से धारा 90–क के तहत भू–आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात यह भू आवंटन पत्र उपपंजीयक, ब्यावर के यहां पंजीकृत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1से 7 व 9 द्वारा आवंटन पत्र के जरिये प्राप्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 10 से14 को विक्रय किया जा चुका है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण को तंग, हैरान,व परेशान करने के लिये मौजूदा निगरानी याचिका विधिविरूद्ध आधारो पर प्रस्तुत की गई है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के एवं सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुये भी मौजूदा निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण द्वारा मौजूदा निगरानी याचिका मृत व्यक्ति अर्थात अप्रार्थी संख्या 8 श्रीमती उषा भार्गव बेवा अनिल भार्गव के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है। चूंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थीगण को कैसे व किस प्रकार वाद कारण या निगरानी प्रस्तुत करने का राईट टू सू प्राप्त हुआ , जो कि पूर्णतः असम्भव है एवं प्रार्थीगण ने मौजूदा याचिका मात्र अप्रार्थी संख्या 10 से 14 की बेशकीमती खरीदशुदा भूमि को विवादित बनाने की गर्ज से प्रस्तुत की है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरूद्ध बिना किसी वाद कारण के प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी जनहित शक्ति सेवा समिति, ब्यावर जरिये अध्यक्ष गौतम मेवाडा जो मौजूदा निगरानी याचिका में प्रार्थी संख्या 2 के रूप में बतौर पक्षकार मौजूद है, के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 121/2012 व 122/2012 बउनवानी जनहित शक्ति सेवा समिति बनाम तहसीलदार ब्यावर व अन्य जिसमें मौजूदा अप्रार्थीगण भी पक्षकार थे ... किया गया थे जो न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2014 को निरस्त कर दिये गये एवं उक्त प्रकरण भी मौजूदा निगरानी याचिका में वर्णित खसरा नं की भूमि व नगर परिषद ब्यावर द्वारा धारा 90–क की कार्यवाही के विरूद्ध ही प्रस्तुत किये गये थे एवं चाहे गये अनुतोष के संदर्भ में ही प्रस्तुत की गई वह याचिका थी। अतः ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Radhani
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति में जबकि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक बार आदेश पारित हो चुका है तो पुनः प्रार्थीगण को मौजूदा निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा निगरानी याचिका भी जनहित में ही प्रस्तुत की गई है तथा पूर्व में भी प्रस्तुत याचिका जनहित में ही प्रस्तुत की गई थी जिसे जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निरस्त कर दिया गया था अतएव ऐसी स्थिति में जबकि एक बार जनहित याचिका के संबंध में निर्णय पारित हो चुका हो तो पुनः जनहित के तहत उसी भूमि के सन्दर्भ में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकारी प्रार्थीगण को शेष नहीं रहता है। पूर्व मे निर्णित जनयाचिका के निर्णय से सभी पक्षकार विधिअन्तर्गत पूर्णतया बाध्य हैं। अतः इन परिस्थितियों में मौजूदा निगरानी याचिका किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने से न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी तर्क है कि मौजूदा निगरानी याचिका में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में एक दीवानी वाद संख्या 29/2020 = 102/2020 माननीय जिला न्यायधीश अजमेर की अदालत में भी प्रस्तुत हुआ जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायधीश संख्या 5, अजमेर के न्यायालय में अन्तरित किया गया। इस वाद का उनवान सुरेन्द्र चौहान व अन्य बनाम प्रेमप्रकाश व अन्य था जिसमें मौजूदा याचिका के अप्रार्थीगण भी पक्षकार थे एवं इसमें भूमि का वर्णन वही है जो निगरानी याचिका में दिया गया है, इस प्रकार दोनों भूमियां समान थी। यह वाद श्रीमान अपर जिला न्यायधीश संख्या 5 ने दिनांक 14.12.2020 को आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत सुनवाई करते हुये खारिज कर दिया व इसी भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है। अपर जिला न्यायाधीश ब्यावर द्वारा भी पूर्व में प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक झूठा व बनावटी प्रकरण बिना किसी विधिक आधार के व बिना कोई वादकरण उत्पन्न हुये तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी मौजूदा निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो सुनवाई नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह निगरानी याचिका धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में भी चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण एस्टोपल अन्तर्गत धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से पूर्णतया बाध्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका विधिक रूप से किसी भी प्रकार से समर्थित नहीं होने के कारण मय हर्जे–खर्चे के खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7, 10 से 14 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत व प्रस्तुत प्रकरण की विषयवस्तु से

संबंधित न्यायालयों के निर्णय भी प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथा :–

1. 2018(2) DNJ Raj. Pg 385 (para -7,8,9)
2. 2016 (10) SCC Pg 767 Head Note “A” (Para- 34,40, 45, 46)
3. 2017 (3) CCC Pg 298 Sc Head Note “A” & “C” (para- 65,71,72)
4. AIR 2003 SC 349 (Head note “C” & “D” (para 17 & 18)
5. 2010 (4) CCC pg 220 SC (para- 14, 15, 16)
6. 2015 (3) DNJ Raj. Pg 965 (para- 6, 7, 10, 11)
7. Civil Appeal No. 10521/13 SC (para- 8)
8. 2020 (4) DNJ Raj. 897 (para- 25,26,27,28,29)
9. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का निर्णय दिनांक 09.11.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति
10. न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर का निर्णय दिनांक 07.02..2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति
11. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 5 , अजमेर का निर्णय दिनांक 14.12..2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति
12. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ब्यावर की डिक्री दिनांक 11.03.. 1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति

प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण/ गैर निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस के जवाबुल जवाब बहस में एवं सर्वप्रथम (1) उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण की निगरानी में न्यायालय हाजा को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है। धारा 72 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गलत पट्टे जारी किये जाने पर सक्षम अधिकारी को इन पट्टों की वैद्यता बाबत सुनवाई का क्षेत्राधि[illegible] तथा जो दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं [illegible] निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जब पट्टों की वैद्यता को चुनौती [illegible] जाने के प्रावधान नगर पालिका अधिनियम 2009 में दिये गये हैं तो प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 के कथन कतई गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 8 के वारिस अप्रार्थी संख्या 9 पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं इसलिए प्रावधान के अनुसार केवल मात्र उसका नाम तर्क किया जाना है। इस आधार पर निगरानी को खारिज नही किया जा सकता है। दीवानी वाद स. 29/2020 = 102/2020 बउनवान सुरेन्द्र चौहान व अन्य बनाम प्रेमप्रकाश व अन्य न्यायालय अपर जिला न्यायधीश संख्या 5, अजमेर में हाल निगरानी याचिका के प्रार्थीगण पक्षकार नही थे इसलिये उक्त निर्णय किसी प्रकार से प्रार्थीगण पर लागु नहीं होते हैं। हाल निगरानी के प्रार्थीगण को समस्त विधिक अधिकार प्राप्त हैं। जहां तक मियाद का प्रश्न है प्रार्थीगण के द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुई देरी बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गता धारा 5मियाद अधिनियम इस निगरानी के साथ प्रस्तुत किया गया है। निगरानी याचिका पूर्ण रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है बल्कि हाल अप्रार्थीगण ने बगैर शपथ पत्र के जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया है वह पोषणीय नहीं है एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कहीं पर भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के लागू होने के प्रावधान नहीं दिये गये हैं। इसलिये अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गता आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान इस निगरानी पर लागू नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

तदुपरांत द्वितीयतः प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत (2) प्रार्थना पत्र वास्ते खारिज किये जाने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित कथनों को ही कमोबेश अपने जवाबुलजवाब में दौहराते हुये निवेदन किया गया है कि निगरानी नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा धारा 73 (2) में दिये गये प्रावधानों अथवा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कहीं पर भी व्यवहार प्रकिया संहिता के लागू होने के प्रावधान नहीं दिये गये हैं इसलिये अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी इस निगरानी पर लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है अतः इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी अप्रार्थी का कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय/तहसील अधिकारी के समक्ष जो भी प्रार्थना पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये जायेगे उनमें अंकित तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान केवल मात्र दावों पर ही लागू होते है, निगरानियों पर नहीं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकर्त्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी न्यायहित में इसी स्तर पर सव्यय खारिज किये जाने आदेश प्रदान किये जावे।

अप्रार्थी संख्या 15 के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 16 व 17 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी जवाबी बहस में निवेदन किया गया कि नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 3 में जारी भूमि आवंटन पत्र (पट्टा) क्रमांक 2 दिनांक 17.09.2012 व इससे अप्रार्थीगण के हक में भूखण्ड संख्या 1से 55 आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 12263.94 वर्गगज व भूखण्ड 1 वाणिज्यिक क्षेत्रफल 1389.91 वर्गगज श्री वृन्दावन विहार योजना में ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा संख्या 886, 906 से 910, 912 से 914, 923, 924, 904/1 जारी किया गया भू आवंटन पत्र (पट्टा) सही व विधिवत रूप से जारी किया गया है एवं इसमें कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है अतएव ऐसी स्थिति में इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा अतः इन्हें यथावत् रखा जाना न्यायोचित है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता ने यह प्रस्तुत निगरानी अर्न्तगत धारा 73 (2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 3 में अप्रार्थीगण के हक में जारी भूमि आवंटन पत्र (पट्टा क्रमांक 2 दिनांक 17.02.2012) के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इसमे निगरानीकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर के आराजी साबिक खसरा संख्या 742 गै.मु., खसरा संख्या 725 किस्म दांती, खसरा संख्या 744 रास्ता, खसरा संख्या 787 किस्म पाल, खसरा संख्या 788 किस्म दांती तथा खसरा संख्या 969, किस्म गैरमुमकिन पहाड (नवीन खसरा न. 923व 904/1) अप्रार्थीगण के पूर्वजों की निजी व खुदकाश्त की सम्पत्ति घोषित नहीं किये जाने से यह आराजी राजकीय भूमि है जिसे अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा व तत्पश्चाात अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी का अंकन करवाया गया है। यह आराजीयात राजकीय भूमि होने से व्यापक जनहित जुडा हुआ है तथा राजकीय भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण के नाम त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया अवैधानिक है तथा न्यायसंगत नहीं होने से खारिज किये [illegible] है। अतः प्रार्थीगण/निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 03 में जारी भूमि आवंटन पत्र (पट्टा) क्रमांक 02 दिनांक 17.09.2012 व इससे अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या [illegible] से 07 व 09 के हक में भूखण्ड संख्या 01 से 55 आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 12263.94 वर्गगज व भूखण्ड 1 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 1389.91 वर्गगज श्री वृन्दावन विहार योजना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम फतेहपुरिया दोयम के खसरा संख्या 886, 906 से 910, 912 से 914, 923, 924, 904/1 जारी किया गया भू आवंटन पत्र (पट्टा) निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 से 07, 10 से 14 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी पूर्णतया विधि विरूद्ध आधारो पर व बिना किसी विधिक आधार के (Locus Standi) के प्रस्तुत किये जाने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण ने जिन दस्तावेजों के संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वे तमाम दस्तावेजात पंजीकृत दस्तावेज है और जिनके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता न्यायालय हाजा में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीगण / निगरानीकर्त्ता सिविल न्यायालय में ही चाराजोही/विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हे चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है अतः न्यायालय हाजा के समक्ष पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में कोई भी निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है एवं विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल सिविल न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता रखते है। अप्रार्थी गण के पक्ष में नगर पारिषद ब्यावर से धारा 90–क के तहत भू–आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात यह भू आवंटन पत्र उपपंजीयक, ब्यावर के यहां पंजीकृत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 9 द्वारा आवंटन पत्र के जरिये प्राप्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 10 से 14 को विक्रय किया जा चुका है जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा मौजूदा निगरानी याचिका विधिविरूद्ध आधारो पर प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता ने जिन दस्तावेजों को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वे तमाम दस्तावेजात पंजीकृत दस्तावेज है और जिनके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार न्यायालय हाजा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता सिविल न्यायालय में ही चाराजोही/विधिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हे चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है अतः न्यायालय हाजा के समक्ष पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में कोई भी निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण /गैरनिगरानीकर्ता 01 से 07 व [illegible] के पक्ष में नगर पारिषद ब्यावर द्वारा धारा 90–क के तहत भू–आवंटन पत्र जारी किये जाने के पश्चात यह भू आवंटन पत्र उपपंजीयक, ब्यावर के यहां पंजीकृत हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested

7 व 9 द्वारा आवंटन पत्र के जरिये प्राप्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 10 से 14 को पंजीकृत पत्र द्वारा विक्रय किया जा चुका है। अतएव ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सहसम्मान अवलोकन किया गया जो तथ्यपरक समानता नहीं होने से इस प्रकरण मे आज की परिस्थितियो मे यथावत चस्पा नहीं होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी सहसम्मान अवलोकन किया गया जो तथ्यपरक समानता होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता की हद तक चस्पा होते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थीगण / गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 से 7 , 10 से 14 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठिता धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी इसी आधार पर न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(डॉ. वीना प्रधान)
सभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:30 IST
Reason: SelfAttested